विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-01/2025

श्री बशीर बेग, पिता नजीर बेग,
शॉप नं. 04 अब्दुल रहीम मस्जिद मण्डी बाजार,
जिला – बुरहानपुर (म0प्र0) – आवेदक
पिन कोड – 450331
मोबाईल न0 99266–11335, 7974617003

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री (शहर संभाग),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शनवार रोड, बुरहानपुर (म0प्र0), – अनावेदक
पिन कोड– 450331

आदेश

(दिनाँक : 20.03.2025)

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री रोहित भारती, सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित ।

01. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक W0574924 में पारित आदेश दिनाँक 14.10.2024 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त अभ्यावदेन में आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उसके विद्युत मीटर में माह अप्रैल, 2024 एवं मई 2024 में दर्ज अत्याधिक खपत पर जारी विद्युत देयकों को पुनरीक्षित करने का निवेदन किया है।

02. उपरोक्त अभ्यावेदन **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021** के प्रावधानानुसार परिशिष्ट–2 में

भरकर निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा अभ्यावेदन विलंब से प्रस्तुत करने के कारणों से संबंधित दस्तावेज के अवलोकन पर अभ्यावेदन विलंब से प्रस्तुत किये जाने का कारण संतोषजनक पाया गया। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 की कंडिका 3.38 अनुसार 50% विवादित राशि के भुगतान संबंधी विवरण एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया। अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन को स्वीकार कर परीक्षण हेतु प्रकरण में दिनाँक 27.02.2025 को सुनवाई नियत की गई।

03. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक के कथन निम्नानुसार हैः–

(i) *आवेदक को दूध डेयरी हेतु 6 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है, जिसका माह अक्टूबर' 2023 से माह मार्च' 2024 तक की अवधि में 585, 544, 447, 377, 456 एवं 879 युनिट का औसत विद्युत खपत का मासिक देयक जारी किया गया है। अप्रेल, एवं मई, 2024 में उक्त कनेक्शन का मीटर जम्प होकर खराब होने के कारण उपरोक्त विद्युत खपत की तुलना में करीब 5 एवं 8 गुना अधिक खपत का विद्युत देयक 2545 एवं 3395 युनिट का जारी किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक से रू. 20,000/– की राशि प्राप्त की जा चुकी है। आवेदक ने उक्त राशि के भुगतान के साथ–साथ एक आपत्ति दिनाँक 11.06.2024 को प्रस्तुत करते हुए मीटर जांच शुल्क रू. 170/– का भुगतान कर उक्त मीटर को निकालकर सक्षम प्रयोगशाला में जांच कराये जाने का निवेदन किया ।*

(ii) *अनावेदक द्वारा उक्त मीटर को निकालकर जाकर दूसरा विद्युत मीटर स्थापित कर दिया गया है, किन्तु वर्तमान में उक्त निकाले गये मीटर की कोई जांच नहीं कराई गई एवं इसके विपरीत उक्त अत्यधिक विद्युत खपत की राशि की शेष राशि का भुगतान किये जाने अन्यथा उक्त कनेक्शन को विच्छेदित करने की धमकी दी जा रही है।*

(iii) *अनावेदक का उक्त कृत्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 एवं विद्युत अधिनियम 2003 में दर्शित प्रावधानों का खुला उल्लंघन है जिसको आवेदक द्वारा चुनौती देते हुए इन्दौर फोरम के समक्ष शिकायत प्रकरण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया था कि जब तक वर्तमान प्रकरण का विधिवत रूप से अंतिम निराकरण नहीं हो जाता है तब तक आवेदक उक्त अत्यधिक विद्युत खपत की शेष राशि की मांग को स्थगित कराते हुए केवल रेगुलर नियमित बिल राशि का भुगतान करना चाहता है और तब तक उक्त कनेक्शन को विच्छेदित न किये जाने हेतु निवेदन करते हुए विद्युत कनेक्शन*

क्रं. 61–07–3955020247 का मीटर जम्प होकर खराब होने के कारण माह अप्रैल, मई, 2024 की अवधि में दर्ज हुई अत्यधिक खपत 2545, 3395 युनिट को विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका क्रं. 8.44 के तहत अधिभार एवं सरचार्ज सहित रिवाईज कराया जाकर आवेदक द्वारा भुगतान की गई रू. 20,000/– की राशि का समायोजन किये जाने हेतु आदेश प्रदान दिया जावे ।

(iv) *उपरोक्त तारतम्य में अनावेदक द्वारा इन्दौर फोरम के समक्ष उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 6 किलोवाट प्रदान किया जाना स्वीकार करते हुए उक्त विद्युत कनेक्शन पर माह जनवरी' 2024 तक मीटर में वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत देयक जारी किये जाने तथा माह फरवरी, 2024 में उक्त कनेक्शन का मीटर डिस्प्ले खराब होने के कारण माह फरवरी' 2024 में 456 का ऐवरेज युनिट का जारी किया । माह मार्च' 2024 में उक्त कनेक्शन का मीटर बदला गया एवं माह अप्रैल एवं मई' 2024 में 2545 एवं 3395 युनिट के विद्युत देयक जारी किये गये।*

(v) *उक्त अवधि में अत्यधिक खपत की आपत्ति पर दिनाँक 08.05.2024 को दूसरा मीटर स्थापित किया गया। उक्त मीटर की प्रयोगशाला में दिनाँक 01.07.2024 को जांच कराई गई थी, जांच उपरांत 5 युनिट चलाने पर 4.9 युनिट चल रहा है, माह अप्रैल माह मई, 2024 में वास्तविक दर्ज विद्युत खपत अनुसार विद्युत देयक जारी किया गया है, जो भुगतान योग्य होना बताते हुए उक्त कनेक्शन का दिनाँक 01.08.2024 को भौतिक सत्यापन किये जाने पर उक्त कनेक्शन का संयोजन भार 6304 वाट पाया गया। उपरोक्त आधारों पर उक्त प्रकरण को निरस्त किये जाने का उल्लेख किया गया है।*

04. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा उक्त प्रकरण क्रं. W0574924 में निम्न निर्णय दिया गया :–

"फोरम का निर्णय :–

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है:–

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, परिवादी के परिसर में प्रतिमाह विद्युत खपत अनुसार विद्युत देयक जारी किए जा रहे है, जो सही है। परिवादी द्वारा देय आवेदन अस्वीकार है एवं उपभोक्ता को पूर्व में जारी किए गए विद्युत देयक का भुगतान किया जावे। उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।"

05. प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपील के निम्न आधार हैं :–

i. *इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी बिंदुओं को नहीं समझकर गंभीर भूल की है।*

ii. *इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण का सूक्षमतापूर्वक/गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं करके गंभीर भूल की है।*

iii. *इन्दौर फोरम द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका क्रं. 8.44 की मंशा को नहीं समझकर गंभीर भूल की है।*

iv. *अपीलार्थी यह स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन पर जो प्रतिअपीलार्थी द्वारा दूसरा मीटर स्थापित किया गया है, उक्त मीटर में पूर्व खपत की तुलना में अधिक खपत दर्ज होने का कारण यह रहा कि अपीलार्थी ने उक्त कनेक्शन का भार बढ़ाये जाने पर 02 अतिरिक्त डी. फ्रीज़ व अन्य उपकरण संयोजित किये गये हैं।*

v. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत कनेक्शन पर पूर्व में स्थापित मीटर निश्चित रूप से खराब होकर अत्यधिक विद्युत खपत के साथ–साथ अत्यधिक एम.डी. भी दर्शा रहा था, जिसके कारण माह अप्रैल, मई' 2024 में दर्ज अत्यधिक विद्युत खपत के बिल विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रं. 8.44 की मंशा के मुताबिक रिवाईज किये जाने योग्य है ।*

06. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :–

''वर्तमान अपील स्वीकार कर इन्दौर फोरम के द्वारा पारित आदेश दिनाँक 14.10.2024 को निरस्त कर अपीलार्थी द्वारा इन्दौर फोरम के समक्ष प्रस्तुत किये गये मूल शिकायत आवेदन पत्र अनुसार माह अप्रैल एवं मई, 2024 में दर्ज अत्यधिक विद्युत खपत 2545, 3395 युनिट को विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रं. 8.44 की मंशा के मुताबिक अधिभार एवं सरचार्ज सहित रिवाईज किया जाकर व अन्य समस्त सहायताए दिलाई जावे। साथ ही साथ अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज सहित अपीलार्थी को वापस दिलायी जावे एवं वर्तमान अपील का खर्च रू. 5,000/– भी प्रतिअपीलार्थी से अपीलार्थी को दिलाया जावे।''

07. सुनवाई का संक्षिप्त विवरण :–

i. सुनवाई दिनांक 27.02.2025 :

आवेदक एवं अनावेदक अनुपस्थित रहे एवं दोनों पक्षों द्वारा अनुपस्थिति के संबंध में ई–मेल पर सूचित किया गया । अनावेदक कार्यपालन यंत्री (शहर), बुरहानपुर द्वारा दिनांक

27.02.2025 को ई–मेल पर पत्र के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 26.02.2025 को महाशिवरात्रि पर्व पर बुरहानपुर शहर में कई स्थलों में रात्रि–कालीन कार्यक्रम एवं शहर की कई गलियों में चल समारोह का आयोजन होने के कारण अनावेदक कम्पनी के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27.02.2025 को उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जा सकती है। अनावेदक द्वारा उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत इस प्रकरण में सुनवाई दिनांक 27.02.2025 को आगे बढ़ाते हुए आगामी माह में नियत करने का निवेदन किया गया ।

ii. आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.02.2025 को ई–मेल पर पत्र के माध्यम से सूचित किया कि व्यक्तिगत रूप से प्रति अपीलार्थी के कार्यालय में संपर्क करने पर विभाग की ओर से उपस्थिति के संबंध में जानकारी के परिपेक्ष्य में चर्चा के दौरान अनावेदक द्वारा उनको यह बताया गया कि महाशिवरात्रि पर्व पर अधिकारी की ड्युटी होने से प्रकरण में कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हो सकता है । उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आवेदक अधिवक्ता द्वारा भी प्रकरण की न्यायहित में सुनवाई दिनांक बढ़ाए जाने का निवेदन किया ।
आवेदक/अनावेदक प्रतिनिधियों के उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए इस प्रकरण में सुनवाई की आगामी **दिनांक 07.03.2025** नियत की गई ।

- **सुनवाई दिनाँक 07.03.2025 :**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से श्री रोहित भारती सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित हुए। कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री रोहित भारती, बुरहानपुर द्वारा अपने पक्ष में अथॉरिटी लेटर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया। अनावेदक प्रतिनिधि ने आवेदक द्वारा विनियम की कण्डिका 3.38 के परिपालन में विवादित राशि का 50% राशि भुगतान संबंधी प्रस्तुत दस्तावेज की पुष्टि कर अपनी सहमति दी। अनावेदक सहायक यंत्री द्वारा प्रकरण से संबंधित अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को उपलब्ध कराते हुए प्रत्युत्तर रिकार्ड में लिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अपना पक्ष पूर्णतः रखा गया, जिस पर अनावेदक प्रतिनिधि को भी सुना गया । आवेदक के अधिवक्ता ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु 15 मार्च' 2025 तक का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर उन्हें अपना प्रत्युत्तर 15 मार्च' 2025 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ।

सुनवाई के दौरान उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/ तथ्य/ कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उभयपक्षों द्वारा कथन किया गया कि उनको प्रकरण में आगे कोई अतिरिक्त कथन नहीं करना हैं न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/ जानकारी प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण को आवेदक के प्रत्युत्तर प्राप्त होने के पश्चात् आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

08. सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा कथनों का सारांश निम्नानुसार है :–

अ) अनावेदक ने अपने लिखित उत्तर में निम्न कथन किये :–

i. *अपीलार्थी श्री बशीर बेग नजीर बेग, पता एस नं. 4 नवाब अब्दुल रहीम मस्जिद, बुरहानपुर, सर्विस क्रं. 61–07–एन3955020247 के नाम पर गैर–घरेलू स्वीकृत भार 06 किलोवाट थ्री फेस का विद्युत संयोग उपयोग/उपभोग हेतु आवंटित था।*

ii. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोजन का दिनांक 27.05.2024 को भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्वीकृत भार 06 किवा. से अधिक भार संयोजित कर उपयोग करते हुए पाया गया। उपभोक्ता के द्वारा विद्युत संयोजन पर स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग किये जाने पर भार वृद्धि (06 किवा. से 08 किवा.) का मौका पंचनामा बनाया गया। मौका पंचनामा के आधार पर माह मई 2024 के पश्चात् विद्युत संयोजन पर भार वृद्धि करते हुए स्वीकृत भार 08 किलोवाट कर दिया गया।*

iii. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोजन का मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के विद्युत देयक जारी किये गये हैं एवं माह अप्रैल' 2024 एवं माह मई' 2024 में मीटर में दर्ज वास्तविक वाचन के आधार पर खपत युनिट क्रमशः 2545 युनिट एवं 3395 युनिट के ही विद्युत देयक जारी किये गये हैं।*

iv. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोजन में माह अप्रैल' 2024 एवं मई' 2024 में पूर्व माह की तुलना में दर्ज अत्याधिक मीटर खपत के आधार पर मीटर जांच हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी के आवेदन के आधार पर मीटर जांच हेतु दिनांक 08.05.2024 को निकाला गया एवं दूसरा मीटर स्थापित किया गया।*

v. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोजन से दिनांक 08.05.2024 को निकाले गये मीटर की दिनांक 01.07.2024 को प्रयोगशाला में जांच की गई हैं। जांच करने पर पाया गया कि, 10 एम्पी. लोड पर मीटर आर.एस.एस. के साथ टेस्ट करने पर आर.एस.एस के 5.0 युनिट चलाने पर मीटर 4.9 युनिट चल रहा है।*

vi. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोजन में पूर्व में स्थित मीटर पर माह मार्च' 2024, अप्रैल' 2024 एवं माह मई' 2024 में एम.डी. (अधिकतम मांग) क्रमशः 8.5 किलोवाट, 9.44 किलोवाट एवं 8.6 किलोवाट दर्ज हुई हैं, जोकि विद्युत संयोग पर स्वीकृत भार 6 किलोवाट से अधिक हैं। विद्युत संयोजन पर लगातार स्वीकृत भार से अधिक उपयोग किये जाने के कारण माह अप्रैल' 2024 एवं माह मई' 2024 में अधिक खपत दर्ज की गई है, जोकि नियमानुसार सही हैं। माननीय फोरम, इन्दौर के पारित आदेश में उल्लेख किया गया है, कि उपभोक्ता के द्वारा स्वीकृत भार से अधिक एम.डी. पायी गई हैं।*

vii. ***अतिरिक्त तर्क –***

ए. *अपीलार्थी के द्वारा अपील आधार कंडिका क्रं. 01 से लगातार कंडिका क्रं. 03 के माध्यम से माननीय वि.उ.शि.नि.फो. इन्दौर को आरोपित करना गलत हैं कि उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दुओं का अवलोकन नहीं किया गया है, अपितु माननीय फोरम, इन्दौर द्वारा पूर्ण अवलोकन, उभय–पक्षों के रखे गये तर्क, कथन एवं पूर्ण सुनवाई के उपरांत ही आदेश प्रदान किया गया है, जोकि उभय–पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए।*

बी. *अपीलार्थी की कंडिका 04 अस्वीकार हैं।*

अपीलार्थी के द्वारा कनेक्शन पर भार बढ़ाने के पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के विद्युत संयोजन पर दिनाँक 27.05.2024 को भौतिक सत्यापन के आधार पर विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत बनाये गये मौका पंचनामा के आधार पर विद्युत संयोजन पर भार वृद्धि की गई हैं।

सी. *अपीलार्थी की कंडिका 05 अस्वीकार हैं।*

मौका पंचनामा दिनांक 27.05.2024 में संयोजित भार 7857 वाट/लगभग 08 किलोवाट पाया गया, जोकि मीटर में दर्ज एमडी. 8.6 किलोवाट के अनुरूप हैं। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हैं कि मीटर की कार्यप्रणाली सही है।

डी. *अपीलार्थी की कंडिका 6 स्वीकार हैं।*

ई. *अपीलार्थी की कंडिका 7 एवं 8 के प्रतिउत्तर की आवश्यकता नहीं हैं।*
अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि, प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर एवं दस्तावेजों के आधार पर उक्त अपील को सव्यय निरस्त कर आदेश पारित करने का कष्ट करेगें।

ब) आवेदक द्वारा अपने लिखित प्रतिउत्तर में निम्न कथन किये :–

(i) *अपीलार्थी सर्वप्रथम यह स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी के यहां माह मार्च' 2024 से माह मई' 2024 की अवधि में 2 मीटर बदले गये है। उक्त दोनों मीटर में से एक मीटर दिनांक 21.02.2024 को और दूसरा मीटर दिनाँक 08.05.2024 को बदला गया है जिसमें से माह फरवरी' 2024 का विद्युत मीटर डिस्पोजल स्लिप दिनाँक 21.02.2024 के अनुसार डिफेक्टिव होना बताते हुए उसकी रीडिंग 49543 तथा स्थापित किये गये मीटर क्रं. 8367902 की प्रथम रीड़िंग 05 दर्शाया गया है। दिनाँक 08.05.2024 को स्थापित किये गये दूसरे मीटर क्रं. 8367902 की अंतिम रीडिंग 7272 दर्शाई गई है। उक्त मीटर को स्थापित करते समय उक्त मीटर की वास्तविक स्थिति एवं उक्त मीटर के प्रचलन संबंधी अपीलार्थी को संतुष्ट नहीं कराया गया है और न ही उक्त मीटर की जांच के संबंध में अपीलार्थी को कोई सूचना दी गई हैं और न ही उक्त मीटर अपीलार्थी की उपस्थिति में जांच कराया गया है इसलिए उक्त जांच रिपोर्ट दिनाँक 01.07.2024 अपीलार्थी पर बंधन कारक नहीं है।*

(ii) *उक्त कनेक्शन पर स्वीकृत भार से अधिक एम.डी दर्ज होना व्यक्त करते हुए अधिक भार उपयोग किये जाने के संबंध में अपीलार्थी का कथन यह है कि दिनाँक 27.05.2024 में उल्लेखित 7857 वाट तथा भौतिक सत्यापन दिनाँक 01.08.2024 में उक्त कनेक्शन का संयोजित भार 6304 वाट होना व्यक्त किया गया है जिससे यह स्थिति स्पष्ट होती है कि उक्त कनेक्शन पर संविदामांग से कम लोड का ही उपयोग किया जा रहा हैं क्योंकि उक्त भौतिक सत्यापन दिनाँक 01.08.2024 में एम.डी 4.428 किलोवाट का उल्लेख किया गया है जिससे यह स्थिति स्पष्ट है कि उक्त कनेक्शन पर अधिक भार का उपयोग न तो किया जा रहा था और न ही वर्तमान में किया जा रहा है।*

(iii) *अपीलार्थी लोकपाल महोदय के समक्ष यह स्थिति भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि अपीलार्थी के यहां दिनाँक 08.05.2024 को स्थापित किये गये दूसरे मीटर को तेज गति से चलने बाबत शिकायक दिनाँक 30.11.2024 को किये जाने पर उक्त कनेक्शन की वायरिंग में त्रुटि होने के कारण माह जून' 2024 से लगायत माह नवम्बर' 2024 तक की अवधि में 1474, 1455, 2422, 1485, 1424 एवं 1554 युनिट की विद्युत खपत दर्ज हुई थी इसके पश्चात् उक्त कनेक्शन की वायरिंग को दुरूस्त कराये जाने पर माह दिसम्बर' 2024 में 1003 युनिट, जनवरी' 2024 में 980 युनिट एवं माह फरवरी' 2025 में 1017 युनिट की विद्युत खपत दर्ज हुई है।*

(iv) *प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी के यहां दिनाँक 08.05.2024 को जो तीसरा मीटर क्रं. 8375403 स्थापित किया गया है उसकी कुल विद्युत खपत माह जून' 2024 से माह फरवरी' 2025 तक की अवधि में 12814 युनिट का 09 माह का औसत युनिट 1423 युनिट बनता है जबकि प्रतिअपीलार्थी द्वारा माह अप्रैल' 2024 में 2545 एवं माह मई' 2024 में 3395 युनिट के विद्युत बिल जारी किये गये है जोकि उक्त 9 माह की ऐवरेज युनिट के आधार पर माह अप्रैल' 2024 की अत्यधिक 2545 युनिट – 1423 युनिट = 1122 युनिट इसी प्रकार माह मई' 2024 की अत्यधिक विद्युत खपत 3395–1423 =1972 युनिट की राशि अपीलार्थी से मांग की जा रही है जो विद्युत प्रदाय संहिता , 2021 की कण्डिका क्रं. 8.44 की मंशा के मुताबिक रिवाईज किये जाने योग्य है।*

09. इस प्रकरण में मुख्यतः निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :–

- आवेदक /उपभोक्ता के माह अप्रैल' 2024 से माह जुलाई' 2024 तक के विद्युत देयक।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत मीटर परीक्षण शुल्क रू. 170/– की राशि जमा किये जाने की दिनांक 11.06.2024 की पावती/रसीद।
- आवेदक द्वारा विवादित राशि की 50% राशि जमा किये जाने संबंधी पावती/रसीद ।
- अनावेदक ने अपने प्रतिउत्तर में प्रस्तुत बिन्दुओं के साक्ष्य में निम्न दस्तावेज संलग्न किये।
  - **क.** दिनांक 27.05.2024 को आवेदक के विद्युत संयोजन के निरिक्षण उपरातं विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए पंचनामे की प्रतिलिपि।
  - **ख.** मीटर में दर्ज वाचन के प्रामणिकता हेतु मासिक फोटोमीटर रीडिंग (माह मार्च' 2024 से लगातार माह मई' 2024 तक) एवं उपभोक्ता विवरण की छायाप्रतियां।

ग. उपभोक्ता के मार्च'2023 से फरवरी' 2025 तक की विद्युत खपत एवं भुगतान की गई राशि के विवरण के साथ consumer report ।

घ. दिनाँक 08.05.2024 की meter replacement and PD Form.

ड.. अनावेदक की प्रयोगशाला द्वारा मीटर की परीक्षण रिपोर्ट ।

च. दिनांक 27.05.2024 को बनाए गये स्थल निरिक्षण पंचनामा के आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत संयोजन पर 6 किलोवाट से 8 किलोवाट भार पाये जाने पर की गई बिलिंग का विवरण।

10. आवेदक के अभ्यावेदन में प्रस्तुत विषय वस्तु एवं प्रकरण में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के कथनों के परीक्षण उपरांत इस प्रकरण में प्राप्त तथ्य निम्नानुसार हैः–

(i) आवेदक ने अपनी शिकायत में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर (इन्दौर फोरम) के समक्ष यह कथन किया था कि उसके विद्युत मीटर में माह अप्रैल' 2024 एवं मई' 2024 की विद्युत खपत सामान्य खपत से अत्यधिक होने के कारण उक्त दोनों माहों के विद्युत देयकों को विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका क्रमांक 8.44 में प्रावधान अनुसार पुनरीक्षित किया जावे ।

(ii) आवेदक/उपभोक्ता की उपरोक्त शिकायत को इन्दौर फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक W0574924 पर दर्ज कर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् आवेदक का परिवाद अस्वीकार किया गया। इन्दौर फोरम द्वारा अपने निर्णय में उपरोक्त दोनों माहों के विवादित विद्युत देयकों की राशि का भुगतान करने हेतु, आवेदक को आदेशित किया गया । फोरम के उक्त आदेश से क्षुब्ध/असंतुष्ट होने के कारण आवेदक ने विषयांतर्गत अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया ।

(iii) आवेदक को 6 किलोवाट का विद्युत संयोजन, 19 जून' 2010 को अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दूध डेयरी हेतु प्रदान किया गया है। आवेदक की विद्युत खपत माह अक्टूबर' 2023 से मार्च' 2024 तक 585, 544, 447, 377, 456 एवं 879 युनिट क्रमशः दर्ज हुई, परन्तु उसकी विद्युत खपत माह अप्रैल' 2024 एवं माह मई' 2024 में 2545 युनिट एवं 3395 युनिट क्रमशः दर्ज की गई । आवेदक द्वारा अनावेदक के कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई एवं विद्युत मीटर की जांच हेतु दिनांक 11.06.2024 को शुल्क रू. 170/–

का भुगतान कर विवादित मीटर को सक्षम प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु निवेदन किया गया।

(iv) अनावेदक द्वारा विवादित मीटर को दिनाँक 08.05.2024 को बदल दिया गया एवं आवेदक के निवेदन पर अनावेदक की प्रयोगशाला में विवादित मीटर का परीक्षण दिनाँक 01.07.2024 को कराया गया जिसमें मीटर सही पाया गया ।

प्रस्तुत अभ्यावेदन में विषय–वस्तु एवं आवेदक द्वारा अपील के आधारों पर अनावेदक से प्राप्त प्रत्युत्तर के अवलोकन पश्चात् निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया गया :–

(v) उपभोक्ता/आवेदक के विद्युत संयोजन का भौतिक निरीक्षण अनावेदक द्वारा दिनाँक 27.05.2024 को करने पर आवेदक का विद्युत भार उसके स्वीकृत भार 6 किलोवाट से बढ़कर 8 किलोवाट पाया गया। आवेदक द्वारा उक्त निरीक्षण का पंचनामा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अंतर्गत उपभोक्ता के परिसर में स्थापित समस्त विद्युत उपकरणों का विवरण, संख्या एवं भार के साथ बनाया गया। उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित उक्त पंचनामे की पूर्ण रिपोर्ट अनावेदक द्वारा अपने प्रतिउत्तर के साथ प्रस्तुत की गई।

(vi) अनावेदक द्वारा प्रयुत्तर के साथ विवादित मीटर में दर्ज मार्च' 2023 से फरवरी' 2025 तक की मीटर रीड़िंग, विद्युत खपत, अधिकतम मांग एवं बिल की गई राशि का पूर्ण विवरण "कंज्यूमर रिपोर्ट" (consumer report) में प्रस्तुत किया गया। उक्त consumer report के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित मीटर में माह अप्रैल' 2024 एवं मई' 2024 में उपभोक्ता की अधिक विद्युत खपत के साथ–साथ ''अधिकतम मांग'' भी सर्वाधिक 9.44 किलोवाट एवं 8.6 किलोवाट दर्ज हुई हैं। उपरोक्त 'कंज्यूमर रिपोर्ट' के परीक्षण से यह भी पाया गया कि विवादित मीटर को बदलने के पश्चात् भी दूसरे मीटर में उपभोक्ता की विद्युत खपत जून' 2024 एवं उसके पश्चात् के माहों में 1455 युनिट एवं उससे अधिक 2422 युनिट तक दर्ज हुई है ।

(vii) सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा यह सूचित किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन के निरीक्षण उपरांत उपभोक्ता द्वारा 6 किलोवाट से 8 किलोवाट विद्युत भार का उपयोग किए जाने पर अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अंतर्गत

रू. 6,332 राशि का अतिरिक्त विद्युत देयक उपभोक्ता को दिया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जा चुका है ।

(viii) **अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर के जवाब में आवेदक द्वारा दिनाँक 13.03.2025 को प्रस्तुत लिखित तर्को पर परीक्षण निम्नानुसार है :–**

(क) आवेदक का यह तर्क कि उपभोक्ता का विद्युत मीटर पूर्व में दिनाँक 21.02.2024 को भी बदला गया था एवं उसकी डिस्पोजल स्लिप अनुसार मीटर डिफेक्टिव पाया गया, इस प्रकरण में इसलिए अप्रासंगिक है क्योंकि प्रकरण में माह अप्रैल' 2024 एवं मई' 2024 में दर्ज विद्युत खपत विवादित है । माह फरवरी' 2024 तथा उसके पूर्व की विद्युत खपत पर न तो अभ्यावेदन में और न ही प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार का विवाद रहा है । अभिलेख पर प्रस्तुत दिनाँक 08.05.2024 को मीटर रिप्लेस्मेंट एवं पी. डी. फॉर्म के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त फॉर्म पर उपभोक्ता के भी हस्ताक्षर हैं। अतः स्पष्ट है कि विवादित मीटर को उपभोक्ता की उपस्थिति में बदला गया है । अनावेदक द्वारा 'आर–3' पर अनुलग्नक उक्त मीटर रिप्लेसमेंट एवं पी0डी0 फार्म पर स्पष्ट अंकित है कि उक्त विवादित मीटर टेस्टिंग के लिए निकाला गया है एवं अनावेदक की प्रयोगशाला (LTMT) द्वारा मीटर की टेस्ट रिपोर्ट उपभोक्ता को स्वीकार्य होगी । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह कथन कि दिनांक 08.05.2024 को मीटर स्थापित करते समय मीटर की स्थिति एवं जांच के संबंध में उसको बताया नहीं गया तर्कहीन प्रतीत होता है ।

(ख) आवेदक/उपभोक्ता यदि विवादित मीटर की परीक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट था तो वह म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका क्रमांक 8.20 एवं 8.22 में प्रावधान अनुसार विवादित मीटर का परीक्षण तृतीय पक्ष परीक्षण अभिकरण/स्वतंत्र प्रयोगशाला में करवा सकता था परन्तु आवेदक द्वारा उक्त प्रावधान अनुसार कार्यवाही नहीं की गई। अतः अनावेदक की प्रयोगशाला में मीटर परीक्षण की परिणाम रिपोर्ट आवेदक पर बंधनकारी है ।

(ग) दिनाँक 01.08.2024 को अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत संयोजन/परिसर में किए गए भौतिक सत्यापन पर पाया गया 6302 वाट संयोजित भार के आधार पर आवेदक द्वारा यह तर्क दिया गया हैं कि आवेदक के विद्युत संयोजन में माह अप्रैल'

2024 एवं मई' 2024 के दौरान उसके द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग नहीं किया गया है ।

आवेदक का उपरोक्त तर्क इसलिए अप्रासंगिक है क्योंकि इस प्रकरण में विवाद माह अप्रैल' 2024 एवं मई' 2024 का है एवं अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 27.05.2024 को मौके पर किए गए भौतिक निरीक्षण एवं बनाए गए पंचनामें की पूर्ण रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का वास्तविक भार 7857 किलोवाट पाया गया है । उक्त पंचनामा और भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट को ही इस प्रकरण में संज्ञान में लेना इसलिए उचित होगा क्योंकि आवेदक की अप्रैल' एवं मई' 2024 की सही खपत उक्त वास्तविक भार 7857 किलोवाट के अनुसार ही होगी ।

(घ) आवेदक द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि विवादित मीटर को दिनाँक 08.05.2024 को बदलने के पश्चात् स्थापित किया गए दूसरे मीटर के भी तेज गति से चलने की शिकायत आवेदक द्वारा 30.11.2024 को किये जाने पर उसकी वायरिंग त्रुटि सुधारने के पश्चात् उक्त मीटर में दिसम्बर' 2024 के बाद विद्युत खपत 1000 युनिट के लगभग हो गई। उक्त तर्क/बिंदु आवेदक की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा सुनवाई दिनाँक 07.03.2024 को भी प्रस्तुत किया गया था जिसको तकनीकी रूप से आधारहीन एवं बिना किसी दस्तावेज/साक्ष्य के कारण अस्वीकार किया जा चुका है ।

(ड.) आवेदक का यह तर्क की माह अप्रैल' एवं मई' 2024 में दर्ज विद्युत खपत की गणना/आंकलन माह जून' 2024 से फरवरी' 2025 की अवधि में दर्ज हुई मासिक औसत युनिट से की जावे, इस प्रकरण में अप्रासंगिक एवं आधारहीन पाया जाता है क्योंकि माह अप्रैल' 2024 एवं मई' 2024 की विवादित खपत का विद्युत मीटर के परीक्षण उपरांत सही पाये जाने के पश्चात् किसी औसत के आधार पर आंकलन करना विधि संगत नहीं है ।

(च) उपरोक्त तथ्यों एवं परीक्षण के आधार पर आवेदक/उपभोक्ता द्वारा अप्रैल' 2024 एवं मई 2024 में की गई विद्युत खपत को वास्तविक एवं सही पाया गया । आवेदक द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत समस्त तर्क आधारहीन एवं अप्रासंगिक पाए गए ।

11. निष्कर्ष एवं निर्णयः–

इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों के सावधानी पूर्वक परीक्षण के उपरांत प्राप्त उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में की गई प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः फोरम का आदेश यथावत रहेगा एवं अनावेदक इस प्रकरण में विवादित राशि नियमानुसार आवेदक से भुगतान कराने हेतु स्वतंत्र है ।

12. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

13. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल